न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक) फलोदी

बइजलास–श्रीमती पुष्पाकंवर सिसोदिया (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं. 412/2019

वादी | बनाम | प्रतिवादी

अब्दुल करीम उर्फ मजीद पुत्र नसरदीन
जाति–मुसलमान
निवासी–रिण
तहसील–फलोदी
जिला–जोधपुर

तहसीलदार फलोदी

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :–
1. श्री सुमेरसिंह चौहान अधिवक्ता वास्ते वादी
2. श्री पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांक 29/08/2019

वादी के वाद का सारांश इस प्रकार है कि ग्राम गोदरली पटवार क्षेत्र मलार तहसील फलोदी में खसरा नं. 63/19 रकबा 25 बीघा काश्त भूमि वादी के खातेदारी अधिकारों एवं कब्जा काश्त की स्थित है, उक्त वादग्रस्त काश्त भूमि वादी की आवंटनशुदा काश्त भूमि है। जिस पर वादी आवंटन के बाद से काबिज है और प्रत्येक वर्ष उक्त वादग्रस्त काश्त भूमि पर काश्त कर, भूमि का उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। आवंटन के बाद से लगातार काश्त करने से वादी को वादग्रस्त काश्त भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है जिसकी घोषणा करवाने का वादी अधिकारी है, वक्त आवंटन वादी का बोलचाल का नाम अब्दुल करीम होने से उक्त वादग्रस्त काश्त भूमि वादी को अब्दुल करीम पुत्र नसरदीन के नाम से आवंटित की जाकर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद की गई, लेकिन कालान्तर में सरकार द्वारा समय–समय पर पहचान सम्बंधी दस्तावेज आवश्यक रूप से बनाते समय वादी के वास्तविक नाम मजीद नाम से वादी के पहचान सम्बंधी दस्तावेज बन जाने से वादी वादग्रस्त काश्त भूमि पर किसी प्रकार का सरकारी ऋण और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहा है। साथ ही वादग्रस्त काश्त भूमि में वादी बतौर गैर खातेदार दर्ज है

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रैक) फलोदी

Scanned by CamScanner

वादी रिकार्ड में दर्ज होने और लगातार काश्त करने से वादी को नियमानुसार खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है वादी का वाद दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्यों से साबित है और डिक्री योग्य पाया जाता है।

आदेश

वाद वादी डिक्री किया जाता है ग्राम गोदरली पटवार क्षेत्र मलार तहसील फलोदी स्थित खसरा नं. 63/19 रकबा 25 बीघा भूमि में वादी का नाम अब्दुल करीम उर्फ मजीद पुत्र नसरदीन उर्फ नसरेखां जाति मुसलमान साकिन रिण घोषित किया जाता है साथ ही वादी को गैर खातेदार के स्थान पर खातेदार घोषित किया जाता है तहसीलदार फलोदी उपरोक्तानुसार निर्णय की पालना कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे डिक्री पर्चा मुर्तिब हो पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 29/08/19 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
फलोदी

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) फलोदी

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत श्री सहायक कलेक्टर फलोदी
बइजलास श्रीमती पुष्पाकंवर सिसोदिया (आर.ए.एस.)

वादी — बनाम — प्रतिवादी

अब्दुल करीम उर्फ मजीद पुत्र नसरदीन — तहसीलदार फलोदी
जाति–मुसलमान
निवासी–रिण
तहसील–फलोदी
जिला–जोधपुर

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वाद सं. 412/2019

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मेरे व हाजिर श्री सुमेरसिंह चौहान अधिवक्ता मिनजानिब मुदई व श्री पैराकार सरकार पेश होकर हुक्म दिया जाता है ग्राम गोदरली पटवार क्षेत्र मलार तहसील फलोदी स्थित खसरा नं. 63/19 रकबा 25 बीघा भूमि में वादी का नाम अब्दुल करीम उर्फ मजीद पुत्र नसरदीन उर्फ नसरेखां जाति मुसलमान साकिन रिण घोषित किया जाता है साथ ही वादी को गैर खातेदार के स्थान पर खातेदार घोषित किया जाता है तहसीलदार फलोदी उपरोक्तानुसार निर्णय की पालना कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। नीचे

मुतालिक — बाबत्
खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर — फीस सदी सालाना आज की तारीख
वसूल याबी तक — को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 29 माह 08 सन् 2019 जारी की गई।

दस्तख्त
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रैक) फलोदी
ओहदा

मोहर

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प			स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
मेहनताना वकील			मेहनताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमीश्नर			फीस कमीश्नर		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
मिजान			मिजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे।

Scanned by CamScanner